



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल, 5, 2017/चैत्र 15, 1939

No. 267]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2017/CHAITRA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2017

सं. 12/2017-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 334(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 12/2012- सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) तालिका में, क्रम सं० 78 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"78 क	1701	कच्ची चीनी के कुल आयात के सकल पांच लाख मीट्रिक टन तक	शून्य	-	3 घ",

(ख) सारणी के पश्चात, परन्तु क्रम में, खंड (ट) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्, :-

"(ठ) 13 जून, 2017 को या उसके पश्चात उक्त सारणी के क्रम सं० 78 क के सामने विनिर्दिष्ट माल"।

(ग) अनुबंध में, सशर्त सं0 3 ग के बाद निम्नलिखित सशर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्

“ 3 घ	कालम (4) में विनिर्दिष्ट ड्यूटी की दर आयात की ऐसी मात्रा पर लागू होगी जिसके संबंध में आयातक के पास विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी टैरिफ दर कोटा आवंटन प्रमाण पत्र या लाइसेंस हो, जो कि विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना अथवा सावर्जनिक सूचना के अंतर्गत जारी किया गया हो।
-------	--

[फा.सं.354/78/2009-टीआरयू (भाग)]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 10/2017-सीमा शुल्क, तारीख 28 मार्च, 2017 सा.का.नि. 296(अ), तारीख 28 मार्च, 2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2017

No. 12/2017-Customs

G.S.R. 334(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely:-

In the said notification,

(A) in the Table, after serial number 78 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“78 A	1701	Raw Sugar upto an aggregate of five lakh metric tonnes of total imports of such goods.	Nil	-	3 D”;

(B) after the Table, in the proviso, after clause (k) and before the Explanation, the following clause shall be inserted, namely:-

“(1) the goods specified against serial no. 78 A of the said Table on or after the 13th day of June, 2017”;

(C) in the ANNEXURE, after condition number 3C, the following condition shall be inserted, namely:-

“3 D	The rate of duty specified in column (4) shall apply to such quantity of imports for which an importer holds a Tariff Rate Quota Allocation Certificate or license, as the case may be, issued by Directorate General of Foreign Trade in accordance with the procedure, as may be specified by Directorate General of Foreign Trade by a Notification or Public Notice as the case may be”.
------	--

[F. No. 354/78/2009-TRU (Pt.)]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note : The principal notification No.12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended vide notification No.10/2017-Customs, dated the 28th March, 2017, published vide number G.S.R. 296 (E), dated the 28th March, 2017.